फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 242/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/249) **श्री जगदीशचन्द्र पालीवाल बनाम जिला कलक्टर, राजसमंद व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.12.2023	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री कमलेश चौहान - वकील अपीलार्थी 2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी **अनवान** 1. **श्री जगदीशचन्द्र पिता श्री भगवानलाल पालीवाल, निवासी जावद तहसील व जिला राजसमंद जरिये अधिकार पत्र धारक श्री लोकेशपुरी पिता श्री अमृतपुरी गोस्वामी, निवासी फरारा, तहसील व जिला राजसमंद।** **-अपीलार्थी** **बनाम** 1. **राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, राजसमंद।** 2. **तहसीलदार, राजसमंद तहसील राजसमंद जिला राजसमंद।** 3. **प्रधानाध्यपक, राजकीय कन्या पाठशाला, धोईन्दा तहसील व जिला राजसमंद।** **-प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध जिला कलक्टर, राजसमंद के भूमि आंवटित किये जाने के आदेश क्रमांक प. 12/3(67)राज/94/1981-84 दिनांक 22.11.1994** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 21.12.2023 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर, राजसमंद के भूमि आंवटित किये जाने के आदेश क्रमांक प.12/3(67)राज/94/1981-84 दिनांक 22.11.1994 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- ● जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा ग्राम धोईन्दा तहसील राजसमंद स्थित आराजी संख्या 827/3 रकबा 8 बिस्वा किस्म बिलानाम भूमि को प्रधानाध्यापिका, राजकीय कन्या पाठशाला, धोईन्दा के विद्यालय भवन व खेल मैदान हेतु राजस्थान भू-राजस्व (अनाधिवासित सरकारी भूमि का स्कूल, कॉलेज, धर्मशाला, अस्पताल एवं जनोपयोगी भवन निर्माण हेतु भू-आवंटन) नियम, 1963 के तहत आदेश क्रमांक प.12/3(67)राज/94/1981-84 दिनांक 22.11.1994 को आवंटित की। जिला कलक्टर, राजसमन्द के उक्त आदेश दिनांक 22.11.1994 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष मयाद बाहर एवं मय प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी के प्रस्तुत की गई, जिस आपत्ति रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर किया गया। पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 20.12.2023 को सुनी गई। अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा-151 जादी का भी प्रस्तुत किया गया। **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है** कि अन्दर हल्का आबादी ग्राम धोईन्दा पटवार हल्का धोईन्दा तहसील व जिला राजसमंद में अपीलार्थी के आधिपत्य का एक प्लॉट/बाड़ा स्थित है, जिसमें पडौस पूर्व में गलीव उसके बाद कन्या पाठशाला, पश्चिम कांकरोली, नाथद्वारा मार्ग, उत्तर में धोईन्दा गांव में जाने वाला रोड़ व दक्षिण में मांगीलाल कुम्हार की जायदाद। उक्त पडौसों	

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 242/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/249) **श्री जगदीशचन्द्र पालीवाल बनाम जिला कलक्टर, राजसमंद व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के मध्य में स्थिति आराजी संख्या 827/3 होकर रकबा 8 बिस्वा भूमि स्थित है जो अपीलार्थी स्वामित्व आधिपत्य की होकर पूर्व के बदोबस्त का कब्जा होने से राज्य सरकार द्वारा नियमन किया गया तथा राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि अपीलार्थी के नाम सवंत 2041-44 में राजस्व रेकर्ड में बहैसियत खातेदारी किस्म बाडें के रूप में दर्ज रही है। अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में प्रत्यर्थी व अन्य द्वारा अपीलार्थी को अवैध रूप से बेदखल करने का प्रयास किया था, जिसके संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायाय में रीट याचिका पेश की गई है जो याचिका संख्या 872/1986 में रूप में बउनवान जगदीश बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के रूप में प्रस्तुत हुई थी। उक्त रीट माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.09.1986 को निर्णित करते हुए अपीलार्थी की याचिका स्वीकार की गई तथा यह निर्देश दिया गया कि प्रत्यर्थी प्रार्थी को उसके कब्जेशुदा भूमि से बिना विधिक प्रक्रिया के जबरन बेदखल नहीं करें। माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय की अवहेलना करते हुए तहसीलदार राजसमंद द्वारा दिनांक 07.10.1986 को अवैध रूप से अपने अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए अपीलार्थी के नाम दर्ज उक्त भूमि को अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बगैर मनमर्जी से अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा पारित रिमाण्ड आदेश को आधार बनाकर दिनांक 07.10.1986 को राजस्व रेकर्ड में एक ही दिन में समस्त कार्यवाही करते हुए अपने अधीनस्थ पटवारी हल्का को कार्यालय बुलाकर नामान्तरकरण आदेश के जरिये अपीलार्थी की भूमि को राजस्व रेकर्ड में उसे बेदखल किये बगेर भूमि को बिलानाम अंकित करने का आदेश दे दिया और उसी समय उसकी पालना की करवा दी गई। उक्त आदेश में जिस निर्णय का हवाला दिया गया था, वह वास्तत में अतिरिक्त जिलाधीश, उदयपुर द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड करने का आदेश था और उसके आधार पर तहसीलदार को विधिवत सुनवाई करने का निर्देश दिये गयेा थे लेकिन आदेश की पालना में किसी प्रकार की कोई सुनवाई न कर आदेश के दस वर्ष पश्चात उक्त आदेश की पालना में तहरीर जारी कर नामान्तरकरण निर्णित कर भूमि को अवैध रूप से बिलानाम किया गया। इस सदंर्भ में अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में तहसीलदार के आलौच्य आदेश को प्रश्नचिन्ह किया गया। राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी संख्या 98/1996 को बउनवान जगदीश बनाम राजस्थान राज्य को दिनांक 22.11.1993 को स्वीकार करते हुए तहसीलदार राजसमंद के आदेश दिनांक 07.10.1986 को अपास्त कर दिया गया। ऐसी स्थिति में राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित किये गये आदेश के पश्चात तहसीलदार राजसमंद द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.10.1986 स्वतः ही समाप्त हो चुका था। राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने आदेश में यह निर्देशित किया गया था कि उक्त आदेश माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 03.09.1986 के विपरित पारित किया गया है। राजस्व मण्डल के आदेश के पश्चात राज्य सरकार के पदाधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही इस संदर्भ में अमल में नहीं लाई गई बल्कि अनाधिकृत रूप से बेदखली का प्रयास किया गया, जिस पर अपीलार्थी ने न्यायालय सिविल जज राजसमंद में प्रकरण संख्या 158/1995 मूल सिविल वाद जगदीशचन्द्र बनाम राजस्थान राज्य के अनवान से प्रस्तुत किया तथा न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में 19.03.1998 को डिक्री किया गया, जिसकी अपील न्यायालय जिलाधीश राजसमंद में प्रस्तुत की गई, जो अपर जिला न्यायाधीश राजसमंद में अंतरित हुई जो अपील संख्या 26/2007 अपील दीवानी दिनांक 25.04.2007 को निर्णित की जाकर राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया गया जिसके विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका संख्या 1049/2007 भी खारिज की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 242/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/249) **श्री जगदीशचन्द्र पालीवाल बनाम जिला कलक्टर, राजसमंद व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

गई। इसी दौरान उक्त भूमि को जिला कलक्टर द्वारा अवेधानिक रूप से प्रत्यर्थी-3 को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये आवंटित कर दी गई और उसके आधार पर उसी दिनांक को तहसीलदार ने नामान्तरकरण पारित कर दिया गया जो अवैधानिक होकर काबिल निरस्त के है। उक्त भूमि पर आज भी कब्जा अपीलार्थी को है। उक्त भूमि अपीलार्थी के नाम नियमित हुई थी और राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थी के नाम अंकित होने से आवंटन के लिये उपलब्ध नहीं थी। प्रत्यर्थी-3 को किया गया आवंटन बिना विधिक प्रक्रियाएं अपनाये किया गया और उक्त वादों के निर्णय को पुरी तरह से नजरअंदान करते हुए किया गया। न ही प्रत्यर्थी-3 द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की गई है, न कोई निर्माण किया गया है। उक्त विवेचन से न्यायालय हाजा समक्ष यह स्थिति स्पष्ट है कि सभी वादों के निर्णयों उपरान्त अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना था, परन्तु आज तक नहीं किया गया। आलौच्य आवंटन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय के विपरित है, दोनों आदेशों की पालना किये बगेर ही जिला कलक्टर द्वारा अपीलाधीन आंवटन आदेश जारी कर दिया गया जो काबिल निरस्त के है। उक्त आदेश अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बगैर ही पारित किया गया और अपीलार्थी के उक्त आदेश से व्यथीत व्यक्ति होने से अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी एवं मयाद उपशमन हेतु प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम भी प्रस्तुत किया गया। लेख है कि किसी भी अविधिक आदेश पर मयाद का बिन्दु लागु नहीं होता है, उसके किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है हालांकि अपीलाधीन आदेश अपीलार्थी के परोक्ष पारित किया गया। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आवंटन आदेश एवं उसके अनुसरण में स्वीकृत नामान्तरकरण को अपास्त करने एवं वादग्रस्त भूमि को पुनः अपीलान्ट के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी की और से उपस्थित राजकीय पेरोकार द्वारा अपनी बहस में प्रस्तुत किया कि आदेश पारित करने से निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जिसमें कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

सर्वप्रथम हम अपील के साथ के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी पर निर्णय किया जाना उचित समझते है। विवादित भूमि अपीलार्थी को नियमनशुदा भूमि रही और विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण दर्ज किया जाकर निर्णय हुए और इसके संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किया, जिनका उल्लेख निर्णय में आगे किया जा रहा है और अधीनस्थ न्यायालय समक्ष उसे पक्षकार नहीं बनाया गया, ऐसे में प्रथम दृष्टया उसके हित व अधिकार प्रभावित होना पाया गया, ऐसे में अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी स्वीकार किया जाकर हस्तगत अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अपीलाधीन आदेश अपीलार्थीगण के परोक्ष पारित किये जाने से न्यायहित में अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम स्वीकार की जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है। इसके अतिरिक्त विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण आदेशों पर मयाद के बिन्दु लागु नहीं होता है, अपीलाधीन आदेश की विधिक स्थिति में संबंध में इस निर्णय के अनुवर्ती अनुच्छेद में विवेचन किया गया है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 242/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/249) **श्री जगदीशचन्द्र पालीवाल बनाम जिला कलक्टर, राजसमंद व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दौराने कार्यवाही, अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा-151 जादी का प्रस्तुत किये। प्रस्तुत दस्तावेज राजकीय विभागों से जारी किये गये दस्तावेज है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार जारी दस्तावेज व राजकीय विभागों के दस्तावेजों की सत्यता पर भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। अतः प्रस्तुत दस्तावेज अभिलेख पर लिये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा ग्राम धोईन्दा तहसील राजसमंद स्थित आराजी संख्या 827/3 रकबा 8 बिस्वा किस्म बिलानाम भूमि को प्रधानाध्यापिका, राजकीय कन्या पाठशाला, धोईन्दा के विद्यालय भवन व खेल मैदान हेतु राजस्थान भू-राजस्व (अनाधिवासित सरकारी भूमि का स्कूल, कॉलेज, धर्मशाला, अस्पताल एवं जनोपयोगी भवन निर्माण हेतु भू-आवंटन) नियम, 1963 के तहत आदेश क्रमांक प.12/3(67)राज/94/1981-84 दिनांक 22.11.1994 को 30 वर्ष की लीज पर आवंटित की, उक्त आदेश से व्यथीत होकर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं इस न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं रिपोर्ट से निर्विवादित स्थिति रही है कि जरिये नामान्तरकरण संख्या 1 दिनांक 18.01.1975 द्वारा बाड़ा नियमन किये जाने के ओदश दिनांक 11.10.1974 से आराजी नं. 827 में से 8 बिस्वा भूमि अपीलार्थी श्री जगदीशचन्द्र पिता श्री भगवानलाल ब्राहम्ण के नाम राजस्व रेकार्ड में 827/1 रकबा 8 बिस्वा अंकित की गई। खसरा न. 827 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा में से फर्दन फर्दन आवंटन नियमन इत्यादि होने से चौसाला रेकर्ड संधारित करने एवं तरमीम करते समय 827/3 अंकित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार राजसमंद के पत्र दिनांक 05.01.1996 अनुसार उक्त नियमन/आवंटन के विरूद्ध 14(4) कर कार्यवाही का कोई रेकार्ड वगैरा उपलब्ध नहीं है। रेकार्ड अनुसार उक्त भूमि को जगदीशचन्द्र के नाम नियमन की जाने की आज्ञा उप तहसीलदार के विरूद्ध श्री देवीलाल पिता गोकल खारोल, निवासी धोईन्दा द्वारा अतिरिक्त जिलाधीश, उदयपुर के यहा अपील प्रस्तुत की गई। अपील में निर्णय दिनांक 06.08.1975 द्वारा प्रकरण तहसीलदार राजसमंद को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि ''विवादग्रस्त भूमि को नियमों के अनुसार ही नियमन किया या नहीं इस प्रश्न को देखा जाकर फिर से पक्षकरान को सुनकर आदेश दिया जावें।'' लेख है कि अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में प्रत्यर्थी व अन्य द्वारा अपीलार्थी को अवैध रूप से बेदखल करने का प्रयास किया था, जिसके संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायाय में रीट याचिका पेश की गई है जो याचिका संख्या 872/1986 में रूप में बउनवान जगदीश बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के रूप में प्रस्तुत हुई थी। उक्त रीट माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.09.1986 को निर्णित करते हुए अपीलार्थी की याचिका स्वीकार की गई तथा यह निर्देश दिया गया कि प्रत्यर्थी प्रार्थी को उसके कब्जेशुदा भूमि से बिना विधिक प्रक्रिया के जबरन बेदखल नहीं करें। अति.जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 06. 08.1975 की अनुसरण में 10 वर्ष बाद तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा आदेश क्रमांक राजस्व/86 दिनांक 07.10.1986 से नामान्तरकरण संख्या 793 दिनांक 07.10.1986 विवादग्रस्त भूमि बिलानाम दर्ज कर दी गई। उक्तानुसार अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा प्रकरण तहसीलदार को पक्षकारान को सुनकर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया था, परन्तु तहसीलदार द्वारा पक्षकारान को बिना सुनवाई करते हुए भूमि बिलानाम दर्ज किये जाने से अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी संख्या 90/86/एलआर/उदयपुर प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान	

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 242/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/249) **श्री जगदीशचन्द्र पालीवाल बनाम जिला कलक्टर, राजसमंद व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 22.11.1993 पारित किया कि "I have perused the records of this and considered the arguments presented by the counsels. Right at the outset, I have to express my dissatisfaction which the way the Tehsildar has conducted these proceedings. The Addl.Collector, Udaipur vide his orders dated 6.8.75 had sent back the matter to the Tehsildar, Rajsamand with the directions that he should once again examine whether the rules were following when the allotment of 'bada' was made to the petitioner. This matter was kept pending for about 11 years when suddenly action on the matter was revived with a note in the ordersheet dated 7.10.86 that the petitioner has to be heard once again. However, even after such direction in the ordersheet, the letter that was sent with the signature of the Tehsildar to the Patwari does not refer to granting any opportunity to the petitioner of hearing but directly orders him to record the land as government land. This is indeed tantamount to ejecting the petitioner from the land in question. It is also surprising to note that the copy of the orders of the Hon'ble High Court dated 3.9.86 is also on the file and no action was taken by the Tehsildar to revive his order dated 7.10.86. I have observed that the copy of the High Court orders was also submitted to the Tehsildar on 20.09.86 but this fact has not been recorded in the ordersheet even on 15.10.86 i.e. the next date of hearing. I must agree with the contention of the counsel for the petitioner that the impunged order of the Tehsildar is certainly a revisable or appealable order since it firmly directls the Patwari concerned to record the land as 'bilanam' without even the pretext of affording any opportunity of hearing to the petitioner. I would, therefore, like to adhere to the findings of the 1975 RRD 1942. The Board of Revenue has been granted vide orders u/s 9, Rajasthan Land Revenue Act which involves powers of general superintendence and control over subordinate revenue courts. I find this a fit case where such powers are required to be invoked. While the revision is of course being accepted, it is also necessary to pass certain critical comments about the conduct of the Tehsildar concerned who has simply ignored not merely the remand orders of the Addl.Collector dated 6.8.75 and has also not taken appropriate action the orders of the Hon'ble High Court dated 3.9.86. Arbitrary exercise of such powers beyond the pale of natural justice and canons of revenue law is definitely reprehensible and worth of condemnation. The revision is, therefore, accepted and the order of the Tehsildar, Rajsamand dated 7.10.86 are hereby set-aside. The file may be sent alongwith a copy of this order to District Collector, Rajsamand with the directions that he may take appropriate action on the same keeping in mind the directions of the Hon'ble High Court. It is mentioned in passing here that the High Court has not make any pronouncements in favour of the rights of the	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 242/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/249) **श्री जगदीशचन्द्र पालीवाल बनाम जिला कलक्टर, राजसमंद व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

petitioner on the land in question but has only stated that the petition is to be ejecting from the land only after the due processes of law are completed. This may be kept in mind by District Collector, Rajsamand when he finally decides the case pertaining to the pending application under Rule 14(4) of the 1970 Allotment Rules."

उक्त आदेश के यह स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा भूमि को बिलानाम सरकार करने का आदेश अपास्त कर दिया क्योंकि उसके द्वारा उच्चतर न्यायालयों के आदेश की पालना नहीं की गई। उक्त प्रकरण में तहसीलदार, राजसमंद भी पक्षकार थे और उनकी ओर से उपस्थित राजकीय पेरोकार द्वारा भी माननीय राजस्व मण्डल समक्ष प्रस्तुत उक्त निगरानी को स्वीकार करने का निवेदन किया क्योंकि तहसीलदार राजसमंद द्वारा उच्चतर न्यायालयों के आदेश की पालना नहीं की गई। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के उक्त आदेश के उपरान्त तहसीलदार, राजसमंद का आदेश दिनांक 7.10.86 निष्प्रभावी हो गया। यहा एक प्रमुख तथ्य उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि उक्त निगरानी प्रकरण में तहसीलदार राजसमंद भी एक प्रमुख पक्षकार थे। प्रक्रियाअनुसार उक्त निगरानी के जारी सम्मन संबंधित तहसीलदार राजसमंद पर तामिल होने के उपरान्त ही पत्रावली बहस में नियत की गई होगी और तत्पश्चात राजकीय पेरोकार द्वारा तहसीलदार राजसमंद की ओर उपस्थित होकर पैरवी की गई। उक्त निगरानी प्रत्यर्थी-3 को किये गये विवादग्रस्त भूमि के अपीलाधीन आवंटन से पूर्व पेश की गई और उसमें दिनांक 22.11.1993 को निर्णय पारित किया गया। उक्त आदेश दिनांक 22.11.1993 की पालना संबंधित तहसीलदार द्वारा राजस्व रेकर्ड में अंकन किया जाना था, जो नहीं किया जाना प्रकट होता है। इस प्रकार आदेशों का अमलदरामद राजस्व अभिलेखों में नहीं किये जाने वाद की संभावित स्थितियां उत्पन्न होती है जिसका परिणाम हस्तगत प्रकरण भी है। यहा यह भी नहीं कहा जा सकता है कि राजस्व मण्डल के उक्त निर्णय की जानकारी तहसीलदार को नहीं थी क्योंकि वह उस प्रकरण में पक्षकार था। इस प्रकार की लापरवाही के होने से उक्त अपीलाधीन आवंटन आदेश के प्रस्ताव प्राप्त होने पर संबंधित तहसीलदार, राजसमंद द्वारा अपूर्ण तथ्यों का अंकन करते हुए प्रस्ताव जिला कलक्टर, राजसमंद को प्रेषित कर दिया जिससे जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा एक त्रुटिपूर्ण अपीलाधीन आवंटन आदेश पारित कर दिया गया, जिसका समर्थन करना यह न्यायालय उचित नहीं पाता है।

इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस में विभिन्न वादों के संबंध में जो स्थिति प्रस्तुत की है, वह उसके द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत संबंधित निर्णय के अवलोकन से प्रमाणित पाये जाते है। उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी लेख है कि प्रत्यर्थी-3 द्वारा आंवटित भूमि पर आवंटन शर्तों अनुसार एक वर्ष में भवन का निर्माण नहीं किया गया है जो कि तहसीलदार के उक्त पत्र दिनांक 05.01.96 से परिलक्षित होता है।एक अन्य विधिक स्थिति में न्यायालय समक्ष प्रकट होती है कि अपीलार्थी को वर्ष 1974 में जो विवादित भूमि आवंटित/नियमन की गई। उस आदेश को निरस्त कराये जाने बाबत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम के तहत कभी भी प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि प्रावधित है। इस तथ्य की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार राजसमंद की पत्र दिनांक 05.1.1996 से होती है जिसमें उल्लेख किया गया है कि श्री जगदीशचन्द्र के विरूद्ध 14(4) की कार्यवाही का कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं है और भूमि को 14(4) की कार्यवाही से नहीं वरन न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, उदयपुर के निर्णय के अनुसार बिलानाम अंकित की गई। दौराने बहस, अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 242/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/249) **श्री जगदीशचन्द्र पालीवाल बनाम जिला कलक्टर, राजसमंद व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दस्तावेजों में से न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश-फास्ट ट्रेक, राजसमंद के निर्णय दिनांक 25.04.2007 में भी यह अंकन किया गया है कि जब विवादित भूमि पर वादी (अपीलार्थी) का आधिपत्य है, उसको नियानुसार उक्त भूमि आवंटित हुई, आज तक उसका आवंटन विधि की प्रक्रिया अनुसार निरस्त नहीं किया गया है, उसे उक्त भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता है और न ही अन्य कोई व्यक्ति उक्त भूमि के आवंटन का अधिकार रखता है। स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि का जो आवंटन श्री जगदीशचन्द्र को किया गया था, उसके 14(4) की कार्यवाही के तहत निरस्त भी नहीं किया गया, ऐसें में पूर्व के आवंटन को निरस्त किये बिना पुनः उसी भूमि का किसी अन्य को आवंटन किया जाना उचित नहीं है और विधिक प्रक्रिया के विपरित भी है। उपरोक्त विवचेनानुसार यह स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रकरण अधीनस्थ राजस्व न्यायालय एवं कार्यालय द्वारा वास्तविक तथ्यों को अभिलेखों पर नहीं लिया गया, न ही विधिक प्रक्रिया का अवलोकन किया गया, उच्चतर न्यायलयों के निर्देशों की पालना की गई, जिसके परिणामस्वरूप एक त्रुटिपूर्ण अपीलाधीन आवंटन आदेश जारी हो गया, जो निरस्तनीय है। परिणामस्वरूपः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 20.11.1994 एवं उसके अनुसरण में स्वीकृत नामान्तरकरण निरस्त किया जाता है और विवादग्रस्त भूमि पुनः नियमन के आदेश की पालना में अपीलार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (महावीर खराड़ी) R.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	